अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2018

सं. वी-33(13)20/99-स्था.IV.— क.रा.बी. (साधारण) विनियमावली, 1950 के विनियम 10 के साथ पठित क.रा.बी. अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 25 के अनुसरण में, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम एतद्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, नामत:—

क्रम सं.	प्रतिनिधि का नाम	पदनाम	विनियम के अंतर्गत
1	श्रम और रोजगार मंत्री, जम्मू और कश्मीर सरकार	अध्यक्ष	विनि. 10(1)(क)
2	प्रशासनिक सचिव, श्रम और रोजगार विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार	उपाध्यक्ष	विनि. 10(1)(ख)
3	श्रम आयुक्त, जम्मू और कश्मीर	सदस्य	विनि. 10(1)(ग)
4	प्रशासनिक चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी. योजना, जम्मू और कश्मीर	पदेन सदस्य	विनि. 10(1)(घ)(i)
5	श्री राकेश गुप्ता, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जम्मू	नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	विनि. 10(1)(ङ)
6	श्री ललित महाजन, अध्यक्ष, बडी-ब्रह्मणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, बडी-ब्रह्मणा, जम्मू	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
7	श्री एम. अफजल पैरी, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, श्रीनगर	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
8	श्री प्रवीन परगल, परगल खाद्य उत्पाद, प्लॉट संख्या 68, चरण -2, औद्योगिक क्षेत्र, गंग्याल, जम्मू	नियोक्ताओं के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
9	श्री लक्ष्मण रविंदर सिंह, आयोजन सचिव, भारतीय मज़दूर संघ, जम्मू	कर्मचारियों के प्रतिनिधि	विनि. 10(1)(ङ)
10	श्री शिव कुमार शर्मा, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आई.एन.टी.यू.सी.), जम्मू	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
11	श्री कपिल बख्शी, प्रांतीय सचिव, पीपल डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन, कठुआ	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
12	श्री जाविद जरगर, सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन (सी.आइ.टी.यू.), श्रीनगर	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि	विनि. 10(1) का परंतुक
13	क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी. निगम, जम्मू और कश्मीर	सदस्य सचिव	विनि. 10(3)

पी. बी. मणि, अपर आयुक्त

[विज्ञापन-III/4/असा./158/18]

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2018

No. V-33(13)20/99-E.IV.— In pursuance of Section 25 of the ESI Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of ESI (General) Regulation, 1950, the Chairman, ESI Corporation hereby constitutes the Regional Board for Jammu & Kashmir State, which shall consist of the following members, namely:

SI. No.	Name of Representative	Designation	Under Regulation
1	Minister for Labour & Employment, Government of J&K	Chairman	Reg. 10(1)(a)
2	Administrative Secretary, Labour and Employment Department, Government of J&K	Vice-Chairman	Reg. 10(1)(b)
3	Labour Commissioner, J&K	Member	Reg. 10(1)(c)
4	Administrative Medical Officer, ESI Scheme, J&K	Ex-Officio Member	Reg. 10(1)(d)(i)
5	Shri Rakesh Gupta, President, Chamber of Commerce and Industries, Jammu	Employers' Representative	Reg. 10(1)(e)
6	Mr. Lalit Mahajan, President, Bari-Brahmana Industries Association, Bari-Brahmana, Jammu	Émployers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
7	Mr. M. Afzal Parry, President, Chamber of Commerce and Industries, Srinagar	Employers' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
8	Sh. Parveen Pargal, Pargal Food Product, Plot No. 68, Phase- 2, Industrial area Gangyal, Jammu	Employer's Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
9	Shri Laxman Ravinder Singh, Organizing Secretary, Bharatiya Mazdoor Sangh, Jammu	Employees' Representative	Reg. 10(1)(e)
10	Shri Shiv Kumar Sharma, Indian National Trade Union Congress (INTUC), Jammu	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
11	Mr. Kapil Bakshi, Provincial Secretary, People Democratic Trade Union, Kathua	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
12	Shri Javid Zargar, Central Indian Trade Union (CITU), Srinagar	Employees' Additional Representative	Proviso to Reg. 10(1)
13	Regional Director, ESIC, J&K	Member Secretary	Regulation 10(3)

P. B. MANI, Addl. Commissioner [ADVT.-III/4/Exty./158/18]